

25-7-24

पत्रावली पेश हुई (अधिकता प्राचीन) में आवक  
 लगाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए और  
 पूर्व में अज्ञातियों की तलबी हेतु रजिस्ट्रार तलबों  
 पेश करते हेतु बार-बार अन्वय दिये जाते  
 परंतु भी रजिस्ट्रार तलबों पेश नहीं किया गया  
 है जिससे प्रतीत होता है कि प्राचीन (अधिकता)  
 प्राचीन द्वारा -आयालय के अधिकार की अवहेलना  
 की गई है अतः प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
 अंतर्गत अधिकार 9 नियम 13 जा.सि. बाबर में मुख्य  
 परमाणु निर्णय दिनांक 24-3-2005 प्रमुख के  
 11/2005 प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (ए) के  
 अन्वय नियम 1970 अन्वयानी आग्रजनता वताम  
 अन्वयानी के वजह, जो -आयालय की अवहेलना  
 करने पर अंतर्गत अधिकार 9 नियम 5 CPC खारिज  
 किया जाता है पत्रावली के साल गुजार की जाकर  
 नम्बर से कम है एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट दामिलेखात  
 की जाते निर्णय काज दिनांक 25-7-24 को मेरे  
 द्वारा खुले -आयालय में सुनाया गया)



*(Signature)*  
 (सुमित्रा पारीक)  
 अति. जिला कलक्टर  
 दोसा (राज.)

